फर्द अहकाम

दशरथसिंह बनाम नरपतसिंह व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

संख्या 05/2024 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/6/24	हुआ है। प्रस्तुत ट्रैक रिपोर्ट अनुसार तामील स्वीकार्य है। एक माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थी 7 की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी सं. 07 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही / बहस प्रा.पत्र टी.आई. दिनांक 08/07/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
08/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र टी.आई. पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश / निर्णय दिनांक 12/7/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप.। उभयपक्ष वायन की बहस प्रा.पत्र टी.आई. के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष बयान व प्रस्तुत तथ्यों व पत्रावली के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अविभाजित खाता सं. 339 की भूमि आ.ख.न. 391, 392 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.06 हे., खाता	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

दशरथसिंह बनाम नरपतसिंह व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 05/2024 (टी-आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	1/4/24	ख. 341 की भूमि आ.ख.नं. 1181, 1182, 1183, 1952, 1954, 1955, 1956, 2326, 2327, कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 2.60 हे. तथा खाता सं. 343 की भूमि आ.ख.नं. 1919, 1921, 1923 ता 1929, 979 कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 2.23 हे. में अप्रार्थी-1 को प्रदर्शित हिस्सा विधिवत व नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत मृतक खातेदारान स्व. जवान सिंह व स्व. मदन कंवर के दत्तक पुत्र के रूप में विरासतन के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार अप्रार्थी-1 को अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार वारिस के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे प्रार्थी के प्रस्तुत तथ्य प्रमाणित नहीं होते है तथा स्वयं प्रार्थी की ओर से पूर्व में भी समान हित/अनुतोष का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो प्रस्तुत तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था एवं उक्त संदर्भ में प्रस्तुत अपील भी सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी। जो तथ्य छिपाते हुए प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। जो प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं होने से खारिज किया जाता है (विस्तृत निर्णय संलग्न है) निर्णय सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

दशरथसिंह बनाम नरपतसिंह व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 05/2024 (टी-आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	1/4/24	पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड
प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या : 05/2024
निर्णय दिनांक : 12.07.2024

दशरथ सिंह पुत्र स्व. मोहन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम मानपुरा माचेड़ी तहसील आमेर, जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. [illegible] सिंह पुत्र स्व. मोहन सिंह,
2. [illegible] सिंह पुत्र स्व. मोहन सिंह,
3. स्वरूप कंवर पुत्री स्व. मोहन सिंह
4. छिगन कंवर पत्नी स्व. मोहन सिंह
5. उर्मिला कंवर पत्नी स्व. जगदीश सिंह,
6. भरत सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम मानपुरा माचेड़ी तहसील आमेर, जिला जयपुर
7. विनोद कंवर पुत्री स्व जगदीश सिंह पत्नी भगवान सिंह जाति राजपूत
   निवासी ग्राम प्रानहेड़ा बालाजी, मु.पो. प्रानहेड़ा बालाजी, तहसील केकड़ी वाया बराई जिला केकड़ी (राज.)।
8. चंदा कंवर पुत्री स्व. जगदीश सिंह पत्नि जितेन्द्र सिंह जाति राजपूत
   निवासी ग्राम बीटवा मु.पो. बीटण वाया मेडता जिला नागौर।
9. नन्दू कंवर पुत्री स्व. श्री जगदीश सिंह पत्नि श्री युधिष्टर सिंह जाति राजपूत
   निवासी ग्राम लोरोली, तहसील मकराना, वाया बोरावड़ जिला डीडवाना।
10. गोविन्द सिंह दत्तक पुत्र बजरंग सिंह
11. नन्दू कंवर पुत्री बजरंग सिंह
12. सज्जन कंवर पुत्री बजरंग सिंह
13. सुप्यार कंवर पुत्री बजरंग सिंह
14. शान्ता कंवरी पत्नी बजरंग सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम मानपुरा माचेड़ी तहसील आमेर, जिला जयपुर
15. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जयपुर।
16. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी की ओर से वाके ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित राजस्व खाता सं 339 की भूमि आ.ख.नं. 391, 392 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.06 है. खाता सं 341 की भूमि आ.ख.नं. 1181, 1182, 1183, 1952, 1954, 1955, 1956, 2326, 2327 कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 2.60 है. तथा खाता सं 343 की भूमि आ.ख.नं. 1919, 1921, 1923 ता 1929, 979 कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 2.23 है. के संदर्भ में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थी 1 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित राजस्व खाता सं 341 की भूमि के साबिक खसरा नं. 282, 283, 389, 486, 487, 672 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में जवानसिंह पुत्र भॅवर सिंह के नाम दर्ज रही है। इसी प्रकार राजस्व खाता सं. 339 की भूमि के साबिक खसरा नं 114, 549, 112 राजस्व रिकॉर्ड में जवान सिंह, मोहन सिंह पुत्रान भॅवर सिंह की खातेदारिता में दर्ज रहे है तथा खाता सं 343 की भूमि के गत खसरा नं. 685, 686 की खातेदारिता जवान सिंह, मोहन सिंह पुत्रान भॅवर सिंह के नाम 1/2 हिस्से के रूप में दर्ज रही है। जवान सिंह के कोई जायन्दा संतान नही थी तथा जवान सिंह व उसकी पत्नि मदन कंवर द्वारा अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नहीं लिया गया था तथा जवान सिंह के विधिक वारिसो में मात्र उसकी पत्नि मदन कंवर थी तथा जवान सिंह की निर्वसीयत, नाऔलाद दिनांक 18.02.1995 को मृत्यु होने पर अप्रार्थी सं 1 द्वारा अपने आपको जवान सिंह का पुत्र बताते हुए राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर जवान सिंह की विरासत का नामांकरण अपने तथा जवान सिंह की पत्नि मदन कंवर के नाम खुलवा लिया गया तथा जवान सिंह की पत्नि मदन कंवर का निर्वसीयत स्वर्गवास होने पर वर्णित आराजी भूमि में निहित मदन कंवर की हिस्से को भूमि की

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

खातेदारी अपने नाम विधि विरूद्ध रूप से दर्ज करवा ली गई। जिसका अप्रार्थी 1 को कोई विधिक हक अधिकार नहीं रहा है जबकि अप्रार्थी 1 ना तो जवान सिंह व मदन कंवर का प्राकृतिक पुत्र है ना ही दत्तक पुत्र है। जवान सिंह व मंदन कंवर की निर्वसीयत ना औलाद मृत्यु होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 ता 9, स्वर्गीय मदन कंवर के पति जवान सिंह के भाई स्व. मोहन सिंह के विधिक वारिसान होने के कारण विधिक रूप से एक मात्र खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आगे अभिकथन किया गया है कि खाता सं 339 की भूमि में प्रार्थी के पिता स्व. मोहन सिंह का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है तथा स्व. जवान सिंह का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है तथा जवान सिंह की नाऔलाद निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसकी पत्नि मदन कंवर एक मात्र वारिस होने के कारण खातेदार मालिक/स्वामी हुई तथा मदन कंवर की निर्वसीयत नाऔलाद मृत्यु होने पर उसके 1/2 हिस्से के कानूनन हक अधिकारी व स्वर्गीय मोहन सिंह के 1/2 हिस्से के कानूनन हक अधिकारी स्व. मोहन सिंह के वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं 1 ता 9 हुए। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण आराजी में प्रार्थी 1/6 हिस्से का कानूनन काश्तकार हुआ तथा इसी प्रकार खाता सं 343 की भूमि में प्रार्थी के पिता स्वं. मोहन सिंह का 1/4 हिस्सा तथा स्व. जवान सिंह का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है तथा जवान सिंह व उसकी पत्नि मदन कंवर की निर्वसीयत नाऔलाद मृत्यु होने पर उसके 1/4 हिस्से के हक अधिकारी व स्वर्गीय मोहन सिंह के 1/4 हिस्से के हक अधिकारी स्व. मोहन सिंह के विधिक वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं 1 ता 9 हुए तथा खाता सं 341 की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 ता 4 (प्रत्येक) का 1/6–1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण सं 5 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा निहित है। इस प्रकार खाता सं 339 की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं 1 ता 4 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा व अप्रार्थीगण सं 5 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा निहित है तथा खाता सं 343 की भूमि के 1/2 हिस्से में प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 4 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा व अप्रार्थीगण सं 5 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा विधि अनुसार निहित है तथा इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 9 मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, परन्तु अप्रार्थी सं 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर उपरोक्त आराजी भूमि (जिसमें जवान सिंह का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है) को जवान सिंह की निर्वसीयत नाऔलाद मृत्यु हो जाने पर स्वयं (अप्रार्थी सं 1) को जवान सिंह का पुत्र बनकर नामांतकरण अपने हक में खुलवा लिया गया। जिसका अप्रार्थी 1 को कोई कानूनन हक अधिकार नहीं था। उक्त नामांकरण की प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं 1 से स्व. जवान सिंह व स्व. मदन कंवर के हिस्से की भूमि की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं 1 ता 4 व अप्रार्थी सं 5 ता 9 के पिता स्व. जगदीश सिंह के नाम हिस्सेनुसार दर्ज करवाने बाबत कहा गया तो अप्रार्थी सं 1 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से इंकार कर दिया गया जबकि अप्रार्थी सं 1 का प्राकृतिक पिता स्व. मोहन सिंह है तथा इसी अनुरूप अप्रार्थी सं 1 के पहचान दस्तावेजात में वल्दियत दर्ज है अप्रार्थी सं 1 उक्त अपेक्षित संशोधन/दुरूस्ती के अभाव में ही भूमि रूपान्तरण करवाने व भूमि को विक्रय करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का (मय वाद पत्र के) न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके बाबत प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह उल्लेखित भूमि वादग्रस्त (हाल खाता सं 339, 341, 343) के विक्रय, हस्तांतरण आदि व प्रार्थी के कब्जाकाश्त में बाधा कारित ना करने बाबत अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद करा सके। यदि प्रार्थी को अपेक्षित अनुतोष प्रदान नहीं किया गया तो अप्राथी सं 1 उल्लेखित भूमि वादग्रस्त में निहित प्रार्थी के हिस्से/कब्जाकाश्त की भूमि पर निर्माण कार्य कर प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल कर बेचान कर प्रार्थी को उसके विधिक हक से सदैव के लिए वंचित कर देगे। जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति संभव नहीं होगी।

अतः प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं 1 को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित राजस्व खाता सं 339 की भूमि आ.ख.नं. 391, 392 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.06 है., खाता सं 341 की भूमि आ.ख.नं. 1181, 1182, 1183, 1952, 1954, 1955, 1956, 2326, 2327 कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 2.60 है. तथा खाता सं 343 की भूमि आ.ख.नं. 1919, 1921, 1923 ता 1929, 979 कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 2.23 है. का विक्रय, हस्तांतरण तथा मौके पर निर्माण कार्य ना करे तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि भूमि के खातेदार जवान सिंह व उसकी पत्नि मदन कंवर द्वारा मिन अप्रार्थी सं 1 को बालावस्था में ही विधिवत गोद ले

उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

लिया गया था तथा मिन अप्रार्थी का बालावस्था से ही लालन–पालन, पढाई–लिखाई, शादी विवाह आदि भी जवान सिंह व उसकी पत्नि मदन कंवर द्वारा भी सम्पन्न कराया गया है। जिसके अनुसार ही मिन अप्रार्थी सं 1 मृतक जवान सिंह व उसकी पत्नि मदन कंवर का विधिक वारिस हुआ है तथा मिन अप्रार्थी के गोद माता पिता से विरासत से रूप में उक्त भूमि मिन अप्रार्थी सं 1 को प्राप्त हुई है। जिस पर अप्रार्थी सं 1 काबिज है। उक्त भूमि से प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार व हिस्सा नहीं है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी एक अन्य वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय अति.सिविल न्यायाधीश क्रम–1 जयपुर जिला जयपुर में प्रस्तुत किया गया था। जो न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2018 को खारिज फरमाया दिया गया था। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा एक अपील सं 04/2018 (51/2018) न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–4 जयपुर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे भी न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2023 को खारिज कर दिया गया था। जिसके उपरान्त अब प्रार्थी द्वारा पुनः वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी को मृतक जवान सिंह व उसकी पत्नि स्व. मदन कंवर की विरासतता जरिये विधिक प्रक्रिया व नामांतकरण से प्राप्त हुई है। जिसके संदर्भ में यदि प्रार्थी को उज्र आपत्ति थी /है तो प्रार्थी को विरासत नामांकरण को चुनौती देनी चाहिए थी जो हस्तगत प्रकरण का आधार नही है। मिन अप्रार्थी द्वारा अपने गोद माता–पिता की विरासत के अतिरिक्त अपने प्राकृतिक (जाईन्दा) पिता स्व. मोहन सिंह की सम्पत्ति/विरासतता में कोई हक अधिकार अपने गोद चले जाने के कारण ही नहीं लिया गया है तथा स्व. मोहन सिंह का विरासत नामांतकरण मिन अप्रार्थी–1 के अतिरिक्त अपने समस्त भाई–बहिनों व माता के नाम ही खुला है। जिसकी भली भाँति जानकारी प्रार्थी को रही है। फिर भी तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थी द्वारा वाद मय प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया गया है जो तथ्यो के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत तथ्यों व पत्रावली के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि खाता सं 339 की भूमि आ.ख.नं. 391, 392 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.06 है., खाता सं 341 की भूमि आ.ख.नं. 1181, 1182, 1183, 1952, 1954, 1955, 1956, 2326, 2327 कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 2.60 है. तथा खाता सं 343 की भूमि आ.ख.नं. 1919, 1921, 1923 ता 1929, 979 कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 2.23 है. में अप्रार्थी सं 1 को प्रदर्शित हिस्सा विधिवत व नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत मृतक खातेदारान स्व. जवान सिंह व स्व. मदन कंवर के दत्तक पुत्र के रूप में विरासतता के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार अप्रार्थी सं 1 को अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार वारिस के रूप में भी प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे प्रार्थी के प्रस्तुत तथ्य प्रमाणित नहीं होते है तथा स्वयं प्रार्थी की ओर से पूर्व में भी समान हित/अनुतोष का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो प्रस्तुत तथ्यो के दृष्टिगत सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था एवं उक्त संदर्भ में प्रस्तुत अपील भी सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी। जो तथ्य छिपाते हुए प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का (मय वाद पत्र) न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। जो प्रथम दृष्टया तथ्यो के दृष्टिगत स्वीकार्य योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर
(रेणु राठौड)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर